

17 $\frac{3}{26}$

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपास्थित। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवे ललाई जाने के बावजूद प्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपास्थित रहे हैं, लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम फ़ैवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली